

**न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला**  
**जिला बैतूल**

दांडिक प्रकरण क :- 595 / 15  
 संस्थापन दिनांक:-21 / 09 / 15  
 फाईलिंग नं. 233504001362015

मध्यप्रदेश राज्य  
 द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला,  
 जिला-बैतूल (म.प्र.)

..... **अभियोजन**

**वि रु द्ध**

रत्नेश पिता गुणवंतराव,  
 उम्र 25 वर्ष, निवासी छावल,  
 थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....**अभियुक्त**

**:- (नि र्ण य ) :-**

**(आज दिनांक 01.02.2018 को घोषित)**

1 प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध धारा 498(ए) भा0दं0सं0 एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 4 के अंतर्गत इस आशय के आरोप है कि उसने दिनांक 01.08.2013 समय दोपहर 12:00 बजे फरियादिया का घर ग्राम छावल थाना आमला जिला बैतूल के अंतर्गत श्रीमती प्रतिभा देशमुख के पति होते हुए उसे शारीरिक मानसिक रूप से प्रताड़ित कर क्रूरता की एवं फरियादी से प्रत्यक्ष या परोक्षतः रूप से दहेज में दो लाख रुपयों की मांग कर शास्ति कर दुष्प्रेरित किया।

2 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि फरियादी का विवाह अभियुक्त से मई 2013 को सामाजिक रीति रिवाज से हुआ था। शादी में उसके पिता ने अपनी हैसियत के अनुसार दहेज दिया था। उसके पति तिरुपतिवाला जी कम्पनी पीथमपुर में काम करते हैं। शादी के एक माह पश्चात वह अपनी सास के साथ पति के पास पीथमपुर चली गयी जहां वह प्राथमिक स्कूल में पढ़ाने लगी। करीब दो तीन माह अच्छे से रहने के पश्चात उसका पति उसे प्रताड़ित करने लगा। उसका पति कहता था कि तेरे पिताजी ने दहेज कम दिया है, मेरे को मकान बनाना है, तू दो लाख रुपये लेकर आ तब तब मेरे घर पर आना। उसका पति उसे गाली गुप्तार, मारपीट कर मानसिक रूप से प्रताड़ित करता था। उसका पति उसे ससुराल छोड़ जाता था और ससुराल आकर भी उस मारपीट कर प्रताड़ित करता था। उसने परामर्श केंद्र में भी शिकायत की थी जहां भी उसका पति उसे रखने के लिए राजी नहीं हुआ। उसका पति उसे प्रताड़ित करता था और दहेज में पैसों की मांग करता था।

3 फरियादी द्वारा दर्ज करवायी गयी रिपोर्ट के आधार पर थाना आमला में अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क्र. 461/15 पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। फरियादी से विवाह पत्रिका, विवाह के फोटो एवं दहेज सूची जप्त कर जप्ती पत्रक बनाया गया। अभियुक्त को न्यायालय में उपस्थिति बाबत सूचना पत्र जारी किया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

4 प्रकरण में फरियादी एवं अभियुक्त की ओर से राजीनामा आवेदन भी प्रस्तुत किया गया है परंतु अभियुक्त के विरुद्ध लगे धारा 498(ए) भा०दं०सं० एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 4 के आरोप अशमनीय होने से अभियुक्त का विचारण किया गया।

5 अभियुक्त द्वारा निर्णय की कंडिका क्रं-1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उसका कहना है कि वह निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है।

6 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :-

1. क्या अभियुक्त ने फरियादी प्रतिभा देशमुख को शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित कर कूरता कारित की ?
2. क्या अभियुक्त ने फरियादी से प्रत्यक्ष या परोक्षतः रूप से दहेज में दो लाख रूपयों की मांग कर शास्ति कर दुष्प्रेरित किया ?
3. निष्कर्ष एवं दंडादेश, यदि कोई हो तो ?

### **॥ विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ॥**

#### **विचारणीय प्रश्न क्र. 01 एवं 02 का निराकरण**

7 उपर्युक्त दोनों विचारणीय प्रश्न साक्ष्य के एक ही अनुक्रम से संबंधित होने से साक्ष्य दोहराव से बचने की दृष्टि से दोनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

8 प्रतिभा (अ.सा.-2) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि उसकी शादी अभियुक्त से वर्ष 2013 में जाति रीति रिवाज से हुई थी। शादी के बाद कुछ दिन तक अभियुक्त ने उसे अच्छे से रखा और बाद में उनका आपसी विवाद हो गया था। साक्षी ने यह भी प्रकट किया है कि घटना की रिपोर्ट (प्रदर्श पी-1)

उसने थाना आमला में की थी जिस पर पुलिस ने शादी की पत्रिका, शादी की फोटो दहेज सूची जप्त कर (प्रदर्श पी-2) का जप्ती पत्रक तैयार किया था। साक्षी ने उपर्युक्त दस्तावेजों पर अपने हस्ताक्षरों को भी प्रमाणित किया है। अभियोजन का समर्थन न करने के कारण साक्षी से अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस बात को बलत बताया है कि अभियुक्त उससे दहेज की मांग करता था और शारीरिक एवं मानसिक रूप से परेशान करता था।

9 वामनराव (अ.सा.-1) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में प्रकट किया है कि उसकी पुत्री प्रतिभा का विवाह अभियुक्त रत्नेश से हुआ था। विवाह के तीन माह पश्चात जब वह पीथमपुर गया तब अभियुक्त रत्नेश ने कहा कि पैसे लेकर आओ। उसकी लड़की प्रतिभा ने बताया था कि उसका पति रत्नेश मकान बनाने के लिए पैसे की मांग कर रहा है। साक्षी ने आगे यह बताया है कि उसकी बेटी प्रतिभा ने उसे यह बताया था कि एक बार अभियुक्त रत्नेश उसे रेल्वे स्टेशन पर अकेला छोड़कर चला गया था। फिर उसकी लड़की प्रतिभा अकेले धीरे-धीरे छावल पहुंची और ससुर को सारी बातें बतायीं। अभियुक्त उसकी लड़की प्रतिभा को रखने के लिए तैयार नहीं है। पैसे की मांग करता है। उसके और उसकी बेटी के द्वारा अभियुक्त की थाना आमला और परिवार परामर्श केंद्र में भी शिकायत की गयी थी।

10 जयाबाई (अ.सा.-2) ने बताया है कि उसकी दामाद रत्नेश उसकी बेटी प्रतिभा से मकान बनाने के लिए दो लाख रुपये की मांग करता था और दो लाख रुपये के लिए उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करता था। गजेंद्र डोंगरी (अ.सा.-3) ने बताया है कि फरियादी प्रतिभा उसकी बुआ की लड़की है। प्रतिभा शादी के उपरांत अभियुक्त के साथ तीन-चार माह रही। शादी के एक सप्ताह पहले अभियुक्त ने उसे फोन किया और कहा कि उसे मोटर सायकिल चाहिए। तब उसने उसके एकाउंट में साठ हजार रुपये डाले। इसके बाद विवाह के लगभग डेढ़ महीने बाद उसने डेढ़ लाख रुपये अभियुक्त के एकाउंट में ट्रांसफर किये। इसके बाद भी अभियुक्त उसकी दीदी को परेशान करता था। मारपीट और गाली गलौच करता था और बाद में मकान बनाने के लिए दो लाख रुपये की मांग करता था।

11 वामनराव (अ.सा.-1) ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि अभियुक्त रत्नेश पीथमपुर में किराये के मकान में रहता था। अभियुक्त ने पीथमपुर में विवाह के पहले ही प्लॉट ले लिया था। परिवार परामर्श केंद्र में समझौता नहीं हुआ था क्योंकि अभियुक्त प्रतिभा को रखने के लिए तैयार नहीं था। इस सुझाव को सही बताया है कि परिवार परामर्श केंद्र में यह कहा था कि 15 दिनों के लिए अपने पति के पास जाओ तो हम लोगों ने कहा था कि यदि अभियुक्त प्रतिभा को लेने

के लिए आयेगा तो अपनी लड़की प्रतिभा को पहुंचा देंगे। इस सुझाव को सही बताया है कि यदि अभियुक्त दो लाख रुपये की मांग नहीं करता तो उसकी लड़की रिपोर्ट नहीं करती। विवाह के एक माह तक अभियुक्त ने उसकी बेटी को अच्छे से रखा। दो लाख रुपये अभियुक्त द्वारा मांगे जाने की बात उसने पुलिस को नहीं बतायी थी।

12 जयाबाई (अ.सा.-2) ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि उसकी बेटी प्रतिभा ने पैसों की मांग और अभियुक्त द्वारा मारपीट करने की रिपोर्ट पीथमपुर चौकी में नहीं की थी। उसकी बेटी ने यह बताया था कि अभियुक्त मकान बनाने के लिए दो लाख रुपये मांगता है। यह भी सही होना बताया है कि विवाह के समय जो सामान दिया गया था वह स्वेच्छया से दिया गया था। गजेंद्र डोंगरे (अ.सा.-3) ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि उसने अभियुक्त के एकाउंट में विवाह के पहले साठ हजार रुपये और विवाह के बाद डेढ़ लाख रुपये ट्रांसफर किये जाने की बात नहीं बतायी थी। उसके द्वारा अभियुक्त को मकान बनाने के लिए दो लाख रुपये की मांग को लेकर समझाईश दी गयी थी। उसकी दीदी को अभियुक्त ने उसके सामने मारपीट भी की थी।

13 प्रकरण में फरियादी प्रतिभा (अ.सा.-4) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि अभियुक्त रत्नेश के द्वारा उससे कभी दहेज की मांग नहीं की गयी और न ही शारीरिक एवं मानसिक रूप से परेशान किया गया। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह बताया है कि वह अभियुक्त के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाहती है। उसे दहेज में दिया गया सामान वापस प्राप्त हो गया है और अभियुक्त से राजीनामा भी हो गया है।

14 प्रकरण में स्वयं फरियादी प्रतिभा (अ.सा.-4) के द्वारा अभियुक्त के द्वारा दहेज की मांग और मारपीट किये जाने से इनकार किया गया है। साथ ही साक्षी ने अपने कथनों में यह भी नहीं बताया है कि अभियुक्त मकान बनाने के लिए दो लाख रुपये की मांग करता था। साथ ही अभिलेख पर ऐसी कोई भी साक्ष्य नहीं है जिससे कि यह प्रकट हो कि फरियादी के द्वारा पीथमपुर में जहां पर अभियुक्त काम करता था, मारपीट या दहेज की मांग के संबंध में कोई शिकायत की गयी हो। अभियोजन साक्षी गजेंद्र डोंगरे (अ.सा.-3) के द्वारा यह बताया गया है कि उसके द्वारा अभियुक्त को विवाह के पहले साठ हजार रुपये और विवाह के उपरांत करीब डेढ़ लाख रुपये एकाउंट में ट्रांसफर किये गये थे परंतु इस संबंध में स्वयं फरियादी या उसके माता पिता ने कोई कथन नहीं किये हैं। साथ ही ऐसी कोई साक्ष्य भी अभिलेख पर नहीं है जिससे कि यह प्रकट हो कि उपर्युक्त राशि अभियुक्त के द्वारा मांग किये जाने पर फरियादी पक्ष के द्वारा दी गयी हो। अभिलेख पर समस्त अभियोजन साक्षीगण ने यह बताया है कि अभियुक्त फरियादी प्रतिभा की मारपीट करता था परंतु इस संबंध में अभिलेख पर न तो कोई

शिकायत है और न ही कोई चिकित्सकीय रिपोर्ट है। साथ ही स्वयं फरियादी प्रतिभा के द्वारा अभियोजन का समर्थन नहीं किया गया है और अभियुक्त के द्वारा मारपीट और दहेज की मांग किये जाने से इनकार किया गया है। तब ऐसी स्थिति में एवं उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा हो दृष्टिगत रखते हुए एवं प्रकरण में उत्पन्न संदेहास्पद परिस्थितियों को देखते हुए यह नहीं माना जा सकता कि अभियुक्त रत्नेश ने फरियादी से दहेज की मांग की और दहेज की मांग की पूर्ति न होने पर उसे शारीरिक अथवा मानसिक रूप से प्रताड़ित किया।

### **विचारणीय प्रश्न क. 03 का निराकरण**

**15** उपरोक्तानुसार की गयी साक्ष्य विवेचना से अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने दिनांक 01.08.2013 समय दोपहर 12:00 बजे फरियादिया का घर ग्राम छावल थाना आमला जिला बैतूल के अंतर्गत श्रीमती प्रतिभा देशमुख के पति होते हुए उसे शारीरिक मानसिक रूप से प्रताड़ित कर कूरता की एवं फरियादी से प्रत्यक्ष या परोक्षतः रूप से दहेज में दो लाख रूपयों की मांग कर शास्ति कर दुष्प्रेरित किया। फलतः अभियुक्त रत्नेश को 498(ए) भा0दं0सं0 एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 4 के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

**16** अभियुक्त पूर्व से जमानत पर है। अभियुक्त द्वारा न्यायालय में उपस्थिति बावत् प्रस्तुत जमानत व मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

**17** अभियुक्त द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित  
तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित ।

(श्रीमती मीना शाह)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
आमला, बैतूल (म.प्र.)